न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
035/2018 **(GCMS 2020/00070)**	**16.10.2020** (पूर्व पंजीयन दिनांक 26.12.2018)	**24.03.2021**

अनवान

1 धापू पुत्री भूरा गुर्जर पत्नी कालू गुर्जर मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

1/1 कमला पुत्री कालु दोहिती भूरा पत्नि भैरू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण हाल निवासी मेहसरा तहसील बेंगॅ जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 बरजी पुत्री कालु दोहिती भूरा पत्नि कालू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

1/3 लाडू पुत्री कालु दोहिती भूरा पत्नि माना गुर्जर मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

1/3/1 बालू पिता माना गुर्जर उम्र वयरक निवासी मेहसरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

1/3/2 सुगना पुत्री माना गुर्जर पत्नि प्रभु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मेहसरा हाल निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

1/3/3 नारायणी पुत्री माना गुर्जर पत्नि शंकर गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मेहसरा हाल निवासी गंगापुर तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

1/4 टमू पुत्री कालु दोहिती भूरा पत्नि भैरू गुर्जर मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

1/4/1 देवीलाल पिता भैरू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी राजगढ़ तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

1/4/2 जीवण पुत्री भैरू गुर्जर पत्नि रतनी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1 मृतक गुलाब पिता भूरा गुर्जर के विधिक वारिसान :–

1/1 रुकमा पत्नि गुलाब गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/2 सगनी पुत्री गुलाब गुर्जर पत्नि भागीरथ गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण हाल निवासी बदनपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
1/3 केसर पुत्री गुलाब गुर्जर पत्नि रतन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण हाल निवासी चौसला तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
1/4 फुली पुत्री गुलाब गुर्जर पत्नि रामचन्द्र गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण हाल निवासी जीवा खेडा तहसील कोटडी जिला चित्तौड़गढ़।
1/5 जमनी पुत्री गुलाब गुर्जर पत्नि सोहन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण हाल निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़।
1/6 रामलाल पुत्र गुलाब गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
1/7 प्रकाश पुत्र गुलाब गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सारण तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

2 प्रबन्धक बी.ओ.बी. शाखा पारसोली जिला चित्तौड़गढ़।
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
4 राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक/उपतहसीलदार पारसोली जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति :–	श्री एसएल गुर्जर	अधिवक्ता अपीलांट
	श्री गिरधारी लाल रेगर	अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1
	श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3,4
	अनुपस्थित	रेस्पोंडेंट संख्या 2

–:: <u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार/नायब तहसीलदार बेंगू बमामले नामान्तरकरण संख्या 25 वाके ग्राम सारण तहसील बेंगूं जिला चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक अपठित</u> ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम सारण तहसील बेगूं के नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक अपठित है, दिया गया आदेश विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। वाके ग्राम सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेंगूं जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 0.3700 हैक्टर खसरा नम्बर 353 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.1000 हैक्टर खसरा नम्बर 411 रकबा 0.1700 हैक्टर खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0200 हैक्टर खसरा नम्बर 413 रकबा 0.4400 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर, जो प्रत्यर्थी संख्या 01 गुलाब के पिता भूरा जी गुर्जर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जीवनकाल से चली आ रही है तथा वर्णित आराजी भू–भाग पुश्तैनी जायदाद की श्रेणी में है। स्वर्गीय भूरा गुर्जर के निधन होने पर वादग्रस्त आराजी भू–भाग में अपीलार्थीगण का भी हक–हिस्सा निहित है, क्योंकि अपीलार्थीगण स्वर्गीय पूराजी के विधिक वारिसान है। स्वर्गीय भूरा जी के परिवार का सजरा मुताबिक अपील मेमों है। स्वर्गीय भूराजी के एक पुत्र व एक पुत्री हुई थीं। जिससे स्वर्गीय भूराजी की जायदाद कृषि भूमि जो पुश्तैनी है। उसमें अपीलार्थीगण भूरा की पुत्री व दोहिता, दोहिती होने से तथाकथित आराजी भू–भाग में मृतक भूरा के विधिक वारिसान में मृतक धापू का 1/2 हिस्सा का हक अधिकार निहित है। धापू का निधन हो जाने से धापू के वारिसान अपीलार्थीया संख्या 1/1 कमला का 1/8 हिस्सा तथा अपीलार्थीया संख्या 1/2 बरजी का 1/8 हिस्सा तथा अपीलार्थीया संख्या 1/3 मृतक लाडू के विधिक वारिसान अपीलार्थीया संख्या 1/3/1 बालू का 1/24 हिस्सा और अपीलार्थीय संख्या 1/3/2 सुगना का 1/24 हिस्सा व अपीलार्थीया संख्या 1/3/3 नारायणी का 1/24 हिस्सा तथा अपीलार्थीया संख्या 1/4 मृतक टमू के विधिक वारिसान अपीलार्थीया संख्या 1/4/1 देवीलाल का 1/16 हिस्सा और अपीलार्थीया संख्या–1/4/2 जीवण का 1/16 हिस्सा निहित है। विवादित कृषि भूमि जो पुश्तैनी जायदाद होने से स्वर्गीय भूरा के भी 1/2 हिस्सा ही निहित है। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीयागण को नही थीं, क्योंकि अपीलार्थीगण अशिक्षित होकर कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें नामान्तकरण की जानकारी नहीं हुई थीं, हाल ही में अपीलार्थीयागण दिनांक 02.11.2018 को हल्का पटवारी से जानकारी की गई, तो हल्का पटवारी ने बताया कि विवादित भूमि के लिये अपीलार्थीयागण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही हैं, तत्पश्चात् उसी दिन नामान्तरकरण की प्रति लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 05.11.2018 को नामान्तरकरण की प्रति उपलब्ध हुई तब विवादित नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इस प्रकार तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.11.2018 को होने से यह अपील तारीख जानकारी के अनुसार अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कराने के लिये दफा 05 कानून मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत है। प्रथम अपील माननीय न्यायालय श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार में होकर पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थीयागण स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार बेगूं द्वारा ग्राम सारण तहसील बेगूं के नामान्तरकरण संख्या 25 पर दिये गये आदेश को अपास्त कराया जाकर स्वर्गीय भूरा की विरासत से प्रत्यर्थी संख्या 01 के साथ साथ अपीलार्थीयागण का भी नाम दर्ज करने का अधीनस्थ तहसीलदार बेगूं को निर्देश प्रदान किये जावें।

इस पर अपील अपीलांट् दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 06.11.2019 को अधिवक्ता अपीलांट के न्यायालय में हाजिर नहीं आने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की गई। इस पर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रकरण संख्या 02/2019 पर दिनांक 03.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 में सुनवाई बाद दिनांक 18.09.2020 को स्वीकार किया गया एवं अपील अपीलांट को रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये गये। इस पर दिनांक 16.10.2020 को अधिवक्ता अपीलांट एसएल गुर्जर हाजिर आयें।रेस्पोडेंट संख्या 1 के विधिक वारिसान की और से अधिक्ता गिरधारीलाल रेगर हाजिर आयें उपस्थिति दर्ज कराई गई, एवं अपील अपीलांट को पुनः पंजीयन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तसहसीलदार बेंगॅू से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बेंगॅू के पत्रांक/भू0अ0/2021/259 दिनांक 12.02.2021 से मूल अभिलेख नामान्तकरण पंजिका मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता।

दिनांक 09.01.2019 को अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 04.03.2021 अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने इकबालिया लिखित बहस पत्रावली प्रस्तुत की जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 24.03.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आयें। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण की ओर से एक अपील बमामले नानान्तंकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक अपठित विरूद्ध आदेश तहसीलदार/नायब तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ के खिलाफ प्रस्तुत की गई है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक अपठित की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थीं, क्योंकि नामान्तरकरण संस्थित करते समय हल्का पटवारी ने मृतक अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई, अपीलार्थीगण अशिक्षित होकर कानून की जानकारी नही रखते हैं। अभी हाल ही में दिनांक 02.11.2018 को मृतक भूरा की कृषि भूमि की विरासत के सम्बन्ध हल्का पटवारी से जानकारी की गई तो हल्का पटवारी ने बताया कि स्वर्गीय भूरा की विरासत से आपका (अपीलार्थीगण) का नाम दर्ज नही किया गया, जिस पर की प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 05.11.2018 को नामान्तरकरण की प्रति उपलब्ध हुई, इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण की जानकारी प्रथम, बाद प्रतिलिपि उपलब्ध होने पर दिनांक 05.11.2018 को हुई तथा जानकारी होते ही विधिक परामर्श लेकर अपील मैमो तैयार प्रस्तुत किया गया जिससे तारीख जानकारी के अनुसार अपील अन्दर अवधि पेश है। हल्का पटवारी ने विवादित नामान्तरकरण दिनांक 06.06.1957 को संस्थित किया गया था। इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार/नायब तहसीलदार बेगूं ने नामान्तरकरण को निर्णित किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णित किये गये नामान्तरकरण पर जो दिनांक अंकित की हैं, वो अपठित है, ऐसी स्थिती में तथाकथित नामान्तरकरण को वर्ष 1957 में निर्णित मानते हुये विलम्ब की अवधि वर्ष 1957 से लगायत तारीख जानकारी व प्रतिलिपि उपलब्ध होने की दिनांक 05.11.2018 तक का सद्भाविक विलम्ब होकर क्षमा योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कराने के लिये दफा 05 कानून मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया हुआ है। माननीय शीर्ष न्यायालयों ने भी दफा 05 कानून मियाद प्रार्थनापत्र पर उदारत का रूख अपनाते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा है। अतः अपील मैमो में दफा 05 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार कराया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य कराते हुये अपील मेमो को मियाद में शुमार करा स्वीकार कराई जावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि वर्ष 1957 से लगायत अपील प्रस्तुत करने तक का समय क्षमा कराते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद में शुमार कराने के आदेश प्रदान कराये जावें। अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थनापत्र के संबंध में इकबालिया निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत अपीलांट के शपथ पत्र का अवलोकन किया। नैसर्गिक न्याय के अवधारणा के अनुसरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर अवधि शुमार की जाती है। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस अपील की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम सारण तहसील बेगू के नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक अपठित होकर जो आदेश पारित किया गया है वो विधि के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है। ग्राम सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेंगूं जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 0.3700 हैक्टर खसरा नम्बर 353 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.1000 हैक्टर खसरा नम्बर 411 रकबा 0.1700 हैक्टर खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0200 हैक्टर खसरा नम्बर 413 रकबा 0.4400 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर है। जो प्रत्यर्थी संख्या 01 से लगायत 07 के स्वर्गीय पिता गुलाब के पिता भूरा जी गुर्जर के जीवनकाल से चली आ रही है तथा वर्णित आराजी भू-भाग पुश्तैनी जायदाद की श्रेणी में है। स्वर्गीय भूरा गुर्जर के निधन होने पर वादग्रस्त आराजी भू-भाग में अपीलार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। क्योंकि अपीलार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वर्गीय भूरा जी के विधिक वारिसान है। सजरे के अनुसार मृतक भूरा के एक पुत्र गुलाब व एक पुत्री धापू हुई। धापू का निधन हो जाने से अपीलार्थीगण स्वर्गीय धापू के विधिक वारिसान है और विवादित जायदाद पुस्तैनी जायदाद की श्रेणी में है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की जायदाद में पुत्र व पुत्री का समान हक अधिकार है। यहां पर भी अपीलार्थीगण मृतक भूरा की पुत्री धापू के विधिक वारिसान है। जिससे पुश्तैनी जायदाद में जिस प्रकार मृतक गुलाब अथवा उसके वारिसान का हक हिस्सा है उसी अनुरूप मृतक भूरा की पुत्री के विधिक वारिसान का भी हक हिस्सा निहित है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण का विनिश्चिय करते समय भूरा की पुत्री मृतक धापू के विधिक वारिसान के हक हिस्सा निहित होते हुये भी अपीलार्थीगण को वंचित रखा गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय सामान्य न्याय सिद्धान्तो के प्रतिकूल होकर निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इस पर रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने इकबालिया कथन किया एवं अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने पर किसी भी प्रकार उज्र नहीं होना जाहिर किया। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में नामान्तरकरण पंजिका के मूल नामान्तरकरण संख्या 25 का अवलोकन करायाा एवं बताया कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक 27.10.1961 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण संख्या 25 को निर्णित किया गया है उक्त नामान्तरकरण किसी भी प्रकार से विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण से किसी भी प्रकार से विरासत की कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ ही नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिसमें पक्षकारान के हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.1961 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर पुष्टि किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारीज फरमाई जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के रिवटल पर निवेदन किया कि विवादित नामान्तरकरण के संबंध में **Agreed person** को किसी भी प्रकार का उज्र नहीं है, अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जावें इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय तहसीलदार बेंगूँ द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 25 मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा निर्णय दिनांक 27.10.1961 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?''

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है- ?

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है, हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूँ द्वारा विवादित नामान्तरकरण से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विवादित निर्णय दिनांक 27.10.1961 पारित किया गया जाना जाहिर होता है, जबकि उभयपक्षकारान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के निर्णय के संबंध में किसी भी प्रकार तथ्य प्रकट नहीं जाकर केवल विरासतन के बिन्दु के संबंध में ही तथ्य किये गये जबकि विवादित नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही विरासतन श्रेणी का प्रतीत नहीं होता है, इसके साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतीपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही हैं, इसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूँ द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना की जाकर विधिक निर्णय नियमानुसार पारित किया गया है, अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की श्रेणी का नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत निर्णित किया गया है, उक्त नामान्तरकरण में खातेदार के फौत होने का विषय तय नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूॅ उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक 27.10.1961 का निर्णित किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक 27.10.1961 के निर्णय में किसी भी प्रकार से काई त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही अपीलांट्स का किसी भी प्रकार से विवादित आराजीयात में हक अधिकार निहित है, तो इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय से अपने हक अधिकारों की घोषणा कराये जाने के संबंध में स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स सारहीन पाई जाती है जिससे अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेंगूॅ के नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक 27.10.1961 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बेंगूॅ को भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:16:00 IST
Reason: SelfAttested